

**फर्द अहकाम  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ**

**सुशिला देवी**

**बनाम**

**महावीर**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 199 सन-2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम का ताकील  
में जारी हुए

23.08.2022

वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 56/57 की कुल 8.8650 हैक में से 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 57/58 की कुल 12.1910 हैक में से 1/8 हिस्सा गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज की रिकार्ड की यथारिथति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 14.10.2022 को पेश हो।

  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

14/10/22


पत्रावली पेश हुई श्रीमान् वकी.ओ. सुन्दर  
सम्मन पत्र पेश करे...  
पत्रावली दि. 2/12/22 को पेश हो

2/23

वकील सायल उपस्थित । गैरसायलान में लम्बी हेतु रजि-  
सम्मन पेश करे । पत्रावली वास्ते लम्बी दिनांक 20/4/23  
को पेश हो

20/4/23

वकील सायलान द्वारा उपस्थित हे उपस्थित कर कर पेशी के ली करे,  
सम्मन पत्र के गैर सायलान के रजिस्ट्रार होने के दावे  
भूल इका सायल के हुका ही करे: प्रथम दावा सायल  
एवं के दावा सायलान के उपस्थित पत्र सायलान के उपस्थित  
पत्रावली नम्बर से कर एवं सायलान इफल हो





Dr. P. S.  
21/10/23  
21/10/23  
Nov  
21/10/23